न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/1545

74

बशीर मोहम्मद (खॉन), पुत्र स्व. श्री बाबू खॉन, आयु 65 वर्ष, व्यवसाय – कृषि, निवासी ग्राम सेंदपा, तहसील बडा मलहरा, जिला छतरपुर (म.प्र.) हाल निवासी ग्राम वल्देवगढ़, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

श्री मनीष शर्मा, अधि. द्वारा आज दि. 31/5/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 31/5/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

– निगरानीकर्ता

बनाम्

(1) गोकल, पुत्र कमला अहिरवार, आयु 73 वर्ष,

(2) श्यामा बाई, पत्नी गोकल अहिरवार, उम्र 65 वर्ष,

दोनों निवासीगण – ग्राम सेंथपा तहसील बडा मलहरा, जिला छतरपुर (म.प्र.)

– प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 12/05/2017 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बडा मलहरा, जिला छतरपुर (म.प्र.) प्रकरण क्रमांक 30/15–16/अपील (गोकल व अन्य बनाम् बशीर खान) जिसके द्वारा प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 5 स्वीकार किया गया

....

न्यायालय श्रीमान्

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

-74

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./छतरपुर/भू.रा.//2017/1545

बशीर मोहम्मद विरूद्ध गोकल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मनीष शर्मा उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बडा मलहरा, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 30/2015-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 12-05-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-07-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर	

छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

2.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य